

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::


भोपाल, दिनांक 22/07/2022

क्रमांक एफ 1104/2022/सत्रह/मेडि-2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन (9585) योजना का विस्तार प्रदेश के सभी 89 अनुसूचित जनजाति विकास खण्डों में किया जाये। अनुसूचित जनजाति के परिवारों में Sickle Cell Disease के ज्यादा प्रचलन को दृष्टिगत रखते हुए स्क्रीनिंग की पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (V) (अ) 25 वर्ष तक की आयु सीमा के अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्ति।
(ब) अनुसूचित जनजाति परिवारों की समस्त गर्भवती महिलाएं और पाँजीटिव पाये जाने पर उनके परिवार के समस्त सदस्य।
(स) किसी भी आयु तथा किसी भी वर्ग के सिम्टोमेटिक (लक्षण युक्त) व्यक्ति तथा पाँजीटिव पाये जाने पर उनके परिवारों के समस्त सदस्य।

(Vi) योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक दृष्टक जैसे जेनेटिक काउंसिलिंग, स्क्रीनिंग एवं जेनेटिक कार्ड प्रिंटिंग आदि का क्रियान्वयन आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से किया जाने हेतु निविदा के माध्यम से एजेन्सी का चयन किया जायेगा। विकल्प के रूप में आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी स्क्रीनिंग का कार्य कराया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(सीमा डेहरिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 1104/2022/सत्रह/मेडि-2

भोपाल, दिनांक 22/07/2022

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय।

निरंतर...2

4. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
7. सदस्य सचिव, राज्य योजना समिति, मध्य प्रदेश भोपाल।
8. महालेखाकार, मध्य प्रदेश ग्वालियर।
9. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्य प्रदेश, भोपाल (आदेश वेबसाईट पर अपलोड करावे)।
10. मिशन संचालक, एन.एच.एम., धनकार कॉलोनी, कोलार रोड भोपाल, मध्य प्रदेश।
11. आयुक्त कोष, लेखा एवं पेशन मध्य प्रदेश भोपाल।
12. कलेक्टर बैतूल, होशंगाबाद, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बडवानी, बुरहानपुर, खरगोन, खण्डवा, जबलपुर, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिण्डौरी, कटनी, अनूपपुर, सीधी, शडहोल, सिंगरौली, उमरिया, सतना, श्योपुर एवं रतलाम मध्य प्रदेश।
13. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ।
14. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ बैतूल, होशंगाबाद, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बडवानी, बुरहानपुर, खरगोन, खण्डवा, जबलपुर, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिण्डौरी, कटनी, अनूपपुर, सीधी, शडहोल, सिंगरौली, उमरिया, सतना, श्योपुर एवं रतलाम मध्य प्रदेश।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैतूल, होशंगाबाद, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बडवानी, बुरहानपुर, खरगोन, खण्डवा, जबलपुर, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिण्डौरी, कटनी, अनूपपुर, सीधी, शडहोल, सिंगरौली, उमरिया, सतना, श्योपुर एवं रतलाम मध्य प्रदेश।
16. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, बैतूल, होशंगाबाद, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बडवानी, बुरहानपुर, खरगोन, खण्डवा, जबलपुर, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिण्डौरी, कटनी, अनूपपुर, सीधी, शडहोल, सिंगरौली, उमरिया, सतना, श्योपुर एवं रतलाम मध्य प्रदेश।
17. जिला कोषालय अधिकारी, बैतूल, होशंगाबाद, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बडवानी, बुरहानपुर, खरगोन, खण्डवा, जबलपुर, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिण्डौरी, कटनी, अनूपपुर, सीधी, शडहोल, सिंगरौली, उमरिया, सतना, श्योपुर एवं रतलाम मध्य प्रदेश।
18. मुख्य अभियंता संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ मध्य प्रदेश।
19. अनुभाग अधिकारी शाखा-2 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
20. गार्ड फाईल।

मंत्रालय
भोपाल
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
1930

संचालक (प्रशासन) 5607
दिनांक 26/03/12

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

BB (Blood call) / MS
D